11

सार्वजनिक खरीद

भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सार्वजनिक खरीद

गुड मॉर्निंग पंकज। क्या हाल है?
गुड़ मॉर्निंग सर। मैं ठीक हूँ।
तुम्हारे नए कार्यभार के लिए बधाई। यह तुम्हारे लिए सीखने का एक शानदार अनुभव होगा।
थैंक्यू सर।
क्या कोई परेशानी है? तुम कुछ तनावग्रस्त दिख रहे हो।
मुझे एडमिन बिल्डिंग के नये ऑफिस के लिए वर्क्स टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कहा गया है।
टेंडर
TENDER
ठीक है।

मेरे पास इसका कोई अनुभव या प्रशिक्षण नहीं है।
यह एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, और अगर इसमें कुछ भी गलती हो गयी तो उसका गंभीर परिणाम हो सकता है, जैसे कि विजिलेंस केस।
पंकज, तुम सही समय पर आये हो।
विभाग सार्वजनिक खरीद पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं इसके लिए तुम्हारा नामांकन कर सकता हूँ।
जी सर। यह बहुत मददगार होगा।
प्रशिक्षण से लौटने पर
गुड मॉर्निंग अजय सर

गुड मॉर्निंग !
लगता है तुम्हारी सभी चिंताओं का समाधान हो गया है।
हाँ सर और मेरा नामांकन प्रशिक्षण हेतु करने के लिए आपका बहुत- बहुत धन्यवाद।
तो उन्होंने क्या सिखाया?
संपूर्ण प्रशिक्षण को सार्वजनिक खरीद पर समर्पित वर्गों और मॉड्यूल में विभाजित किया गया था। उन्होंने प्रत्येक चरण के महत्त्व और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया।

उन्होंने मेरे द्वारा पूछे गए सवाल की सराहना भी की।
सच में! तुमने क्या पूछा?
एक समय पर मुझे लगा कि हर सर्कुलर और दिशानिर्देश को याद रखना संभव नहीं है।
इसलिए मैंने उनसे पूछा कि टेंडर डॉक्यूमेंट पर विभागों ने विभिन्न सर्कुलर जारी किये हुए है, तो डॉक्यूमेंट बनाते समय किन दिशानिर्देशों का पालन करना है, ये कैसे सुनिश्चित किया जाये?
TRAINING
उन्होंने कहा कि यह सभी विभागों की आम समस्या थी। इसके समाधान हेतु, हाल ही में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सहयोग से व्यय विभाग, भारत सरकार ने वस्तु, कार्य तथा परामर्श और अन्य सेवाओं पर तीन खरीद नियमावलियां जारी की है।
इन नियमावलियों में सार्वजनिक खरीद पर सभी सीवीसी सर्कुलर्स एवं नवीनतम दिशानिर्देशों/ सलाहों को शामिल कर लिया गया है।

ये तीनों नियमावलियां अब भारत सरकार के तहत सभी सार्वजनिक खरीद के लिए एक सामान्य सन्दर्भ के रूप में कार्य करेंगी।
ये तीनों नियमावलियां केंद्रीय सतर्कता आयोग और व्यय विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
www....
पंकज ने टेंडर प्रक्रिया के अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की।
परियोजना तैयार करने से पहले व्यवहार्यता अध्ययन किया जाना होता है। परियोजना के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सुनिश्चित करना होता है ।
मंजूर
APPROVED
28/9

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रत्यायोजन के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति प्रदान की गयी है।
स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए।
सक्षम अधिकारी
किसी अपरिहार्य स्थिति में अतिरिक्त व्यय या परियोजना के दायरे में परिवर्तन हेतु, सक्षम अधिकारी का अनुमोदन होना आवश्यक है। इसके अलावा बोलियों का मूल्यांकन अधिसूचित मानदंडों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।
ठीक है। इन सभी बातों का ध्यान एक प्रभावी निविदा डॉक्यूमेंट तैयार करने में रखा जाना चाहिए। मैं और जानने के लिए जिज्ञासु हूँ।
ज़रूर।
उन्होंने चर्चा जारी रखी।
लागत अनुमान तैयार करते समय उचित डॉक्यूमेंट के साथ समर्थित दर का विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए।
INVOICE

पूर्ण निविदा डॉक्यूमेंट, जिसमे अनुबंध की सामान्य / विशेष शर्तें , विनिर्देश, मात्रा का बिल आदि शामिल होते हैं, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
सक्षम अधिकारी
सरकार/संगठन के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों को निविदा डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाना चाहिए।
TENDER DOCUMENT
निविदा डॉक्यूमेंट में उल्लेखित निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। साथ ही निविदा आमंत्रण सूचना यानी एनआईटी में निविदा प्राप्ति स्थान को अधिसूचित किया जाना चाहिए।
ठीक है।
वाणिज्यिक बैंक की बैंक गारंटी ही स्वीकार की जानी चाहिए।
बैंक
BANK

मैंने कभी नहीं सोचा था कि निविदा के लिए इतनी विस्तृत प्रकिया का पालन करना होता है। और बताओ कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
खरीद के लिए पूर्व - योग्यता मानदंड वस्तुनिष्ठ रूप से तैयार किये जाने चाहिए और बोलीदाताओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
निविदा का उचित प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। इसे मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संगठन की वेबसाइट के साथ साथ केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल यानी सीपीपी पोर्टल पर भी पोस्ट किया जाना चाहिए।
सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा खोलने के लिए बनी समिति को विधिवत अधिसूचित करना चाहिए और निविदाएं बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही खोलनी चाहिए।
एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि सक्षम सदस्यों को शामिल करते हुए एक उपयुक्त निविदा मूल्यांकन समिति का गठन किया जाना चाहिए।

निविदा डॉक्यूमेंट की शर्तों के अनुसार बोलियों का मूल्यांकन किया जाए और निविदा मूल्यांकन समिति अपनी सलाह दे।
हम्मम......
ये जानकारी हमें एक अच्छा टेंडर डॉक्यूमेंट बनाने में मदद् करेगी।
हाँ, और भी पहलू हैं।
कार्य प्रदान करने के लिए निविदा प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और निर्धारित अवधि के भीतर संगठन और आपूर्तिकर्ता के बीच उचित एग्रीमेंट किया जाना चाहिए ।

अगले दिन
अंत में, प्रबंधन द्वारा अनुमोदित इंटीग्रिटी पैक्ट के प्रावधान को निविदा डॉक्यूमेंट /अनुबंधों में शामिल किया जाना चाहिए।
सच में यह प्रशिक्षण काफी उपयोगी रहा।
10 दिनों के बाद
सर, यह ड्राफ्ट निविदा है।
ये तो कमाल है पंकज, तुमने बहुत अच्छा काम किया है।
धन्यवाद सर। यह केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्राप्त जानकारी के कारण ही संभव हुआ। इसके अलावा वस्तु, कार्य तथा परामर्श और अन्य सेवाओं पर खरीद नियमावलियों की मदद से, मैं यह सुनिश्चित कर पाया कि सभी आवश्यक बिंदुओं को निविदा में विधिवत कवर किया जाये।

सार्वजानिक खरीद

- सरकारी निकाय अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं की खरीद पर खर्च करते हैं।
- ये खरीद निविदा प्रणाली की पारदर्शी, एक समान, व्यवस्थित और लागत प्रभावी प्रक्रियाओं का पालन करके की जाती हैं।
- ये प्रक्रियाएं सार्वजनिक खरीद हेतु सरकार के निर्देशों और दिशानिर्देशों के रूप में हैं।
- इस संबंध में व्यापक नियम और विनियम "सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017" में उल्लेखित किए गए हैं।
- इसके अलावा, व्यय विभाग भारत सरकार ने वस्तुओं, कार्यों और परामर्श तथा अन्य सेवाओं की खरीद के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं पर तीन नियमावलियां तैयार की हैं।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी किए गए सभी खरीद संबंधी निर्देशों को इन नियमावलियों में समाहित कर दिया गया है।
- ये नियमावलियां व्यय विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट पर (https://doe.gov.in एवं https://cvc.gov.in) पर उपलब्ध है।
- सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी खरीद नियमावली को व्यय विभाग की नियमावलियों के अनुरूप करें।
- सरकारी निकायों द्वारा सार्वजनिक खरीद पर अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित/अद्यतन करने के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ए-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली - 110023

www.cvc.gov.in

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India के सहयोग से प्रकाशित

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुद्रित